



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403, 2222805 ई-मेल - dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.55 ()अभि./सीई/डीएलबी/25/बाढ़ बचाव/ 39772- दिनांक : 16/06/2025
40087

आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर मानसून पूर्व तैयारियों एवं बाढ़ बचाव संबंधी व्यवस्थायें करने बाबत।

प्रसंग : विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्रांक: 104510-736 दिनांक 09.06.2021, पत्रांक 47012 दिनांक 07.06.2022, पत्रांक 49775-50035 दिनांक 07.07.2023 एवं 52325 - 609 दिनांक 29.05.2024 की निरन्तरता में।

दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्ष 2025 के राज्य में शीघ्र ही सक्रिय होने की सम्भावना है। अतः राज्य में अतिवृष्टि या बाढ़ की सम्भावना को देखते हुये, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानसून की वर्षा के दौरान बाढ़ से बचाव हेतु सभी शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर जन-धन को सम्भावित हानि से बचाने हेतु निम्नांकित प्रबंध तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित किये जावें :-

01. प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर 24 घन्टे के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। नियंत्रण कक्ष द्वारा अन्य विभागों जैसे- जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, राज्य आपदा प्रबन्धन सैल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण कम्पनियाँ, दूरसंचार विभाग/कम्पनियाँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड्स, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट आदि से समन्वय रखा जावे।
02. शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालों-नालियों में से मानसून से पूर्व/दौरान मलबा व कीचड़ की सफाई करने के पश्चात् तुरन्त उनको ढकने की कार्यवाही की जावे। नाले/नालियों का सफाई कार्य तथा उन्हें सुरक्षित रूप से ढकने की व्यवस्था आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। सीवरेज मैनहोल एवं नालियों पर कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे। सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई करने के पश्चात् मैनहॉल्स को तुरन्त ढकने हेतु कार्यवाही की जावे। सड़क पर बने हुए नाला-नालियों के क्रासिंग व खुले स्थानों को फेरोकवर से तुरन्त ढका जावे।
03. यह भी सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण के कारण नाले/नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हो। यदि बरसाती नाले/नालियों व पानी के बहाव में कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो गरीब परिवारों व प्रभावित आबादी को वैकल्पिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हुये अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
04. नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित नालियों व नालों की सफाई का ध्यान रखा जावे ताकि वर्षा के मौसम में पानी का बहाव सुचारु रहें तथा किसी प्रकार पानी का रुकावट (Water Logging) ना हो सके। पानी की रुकावट को नियंत्रित करने के लिए इस हेतु पहले से ही पानी की निकासी की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें।

Signature valid

Digitally signed by Indrajit Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.16 22:58:40 IST
Reason: Approved



05. रोड कट्स/टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र करवा लिया जावे। 15 जून से 15 सितम्बर, 2024 तक की अवधि में रोड़ कट की अनुमति नहीं दी जावे। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निर्णय उपरान्त ही अनुमत किया जावे एवं 24 घंटे में मरम्मत सुनिश्चित की जावे। बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण नालियाँ व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी तुरन्त मरम्मत करवाई जावे।
06. बाढ़/अतिवृष्टि से बचाव हेतु जनप्रतिनिधियों व स्वयं सेवी संस्थाएँ/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आम जन में जागरूकता बढ़ाने के लिये समाचार-पत्रों, संचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जावे।
07. सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसून से पूर्व नालों तथा पानी भरने के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जावे।
08. बाढ़ प्रभावित ज़ोनों का निर्धारण कर मानचित्रों में अंकित किया जाकर एक्शन प्लान (कार्य योजना) बनाया जावे एवं सुरक्षा संबंधी सभी उपाय पूर्व में ही कर लिये जावे।
09. किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आने के कारणों को चिन्हित किया जावे तथा इससे बचाव के लिए समुचित कार्यवाही की जावे।
10. बाढ़ से बचाव व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस थानों पर आवश्यकतानुसार सामग्री यथा - रेत/मिट्टी के भरे हुये व खाली कट्टे, रोड़ी, बजरी, खान का मलबा, त्रिपाल, बांस, बल्ली, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्पर, जे.सी.बी., पिकअप/जीप, मड़ पम्प/वाटर पम्प, पी.वी.सी. पाईप्स, नाव, नाविक, तैराक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, ट्यूब, नाइलोन रस्से, टॉर्च, इमरजेंसी लाईट, गैस कटर, सब्बल, फावड़े, परात, गेंती आदि एवं बाढ़ बचाव दल की व्यवस्था की जावे।
11. बरसात के दिनों में इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार वाटर पम्पों व पाईप्स की व्यवस्था की जावे।
12. बरसात के बाद शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (Low Lying Area) व नालों में इकट्ठे/जमा कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।
13. विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे बिजली के ढीले तारों को दुरुस्त करने एवं बिजली के खम्बों, सड़क किनारे डी.पी., केबल बॉक्स व स्वीच बॉक्स के आस-पास लूज तारों को हटाया जावे। स्वीच बॉक्स के टूटे हुये ढक्कनों को तुरन्त मरम्मत करवाई जावे।
14. असुरक्षित/जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर भवनों मालिकों को नोटिस/सार्वजनिक सूचना जारी करते हुये उनको खाली कराने की कार्यवाही की जावे। ऐसे मकानों के वासियों को चेतावनी देते हुये उनके सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे, ताकि जन-धन की हानि नहीं हो।
15. आकस्मिक अग्नि कांड हेतु अग्निशमन वाहन तथा करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने हेतु अन्य आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ को तैयार रखा जावे।
16. नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित पुराने अनुपयोगी खुले कुएँ, नालियाँ, पाइप लाइन्स आदि से ढका जावे। ऐसे अनुपयोगी कुओं को वर्षा जल के पुनर्भरण/वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है।
17. बाढ़ को कम करने के लिये भवनों में आंतरिक (Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण पूर्व में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान या

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.16 22:58:40 IST
Reason: Approved

अन्य योजना/कार्य के अंतर्गत करवाया गया है। मानसून से पूर्व उचित निर्मित RTWHIS की मरम्मत व साफ-सफाई करवा ली जावे।

18. अतिवृष्टि के पानी का सदुपयोग करने के लिये नगर निकाय अपने स्तर पर शहर में खुले मैदानों, सड़क किनारे व पार्कों में 'वर्षा जल पुनर्ग्रहण संरचना' (Storm Rain Water Harvesting Structure) प्रणाली का निर्माण करवा सकती है।
19. सड़कों के किनारे स्थित बड़े गड्ढों को मिट्टी से भराया जावे तथा सड़क के किनारे कटाव को रोकने के लिये मिट्टी के कट्टे लगाये जावे।
20. बरसात के पानी के भराव स्थलों के आस-पास सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वहीं चेतावनी बोर्ड लगाये जावें।
21. कच्ची बस्तियों तथा बाढ़ के सम्भावित क्षेत्रों के आस-पास के सार्वजनिक भवनों, धर्मशाला, स्कूलों तथा ऊँचे स्थानों जहाँ अस्थाई रूप से ठहरने की व्यवस्था की जा सकती हो, चिन्हित किया जावे तथा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिये अस्थाई कैम्प की आवश्यक तैयारी रखें।
22. असुरक्षित भवनों को चिन्हित किया जाकर उनके निवासियों को चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित व्यवस्था रखी जावे।
23. अतिवृष्टि के कारण बरसात के मौसम में जान-माल का नुकसान होने से जानवरों, पक्षियों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके शव दुर्गन्ध मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें तुरन्त हटाया जावे, ताकि संक्रामक रोग नहीं फैले व स्थिति भयावह न बने।
24. पेड़, भवन, विजली के खम्बे व मोबाईल टावर आदि बरसात के कारण गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी होती है और मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे अवरोधों को तुरन्त हटाये जाने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्था की जावे।
25. वर्षा के बाद फैलने वाली संभावित बीमारियों (मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि) पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कीटनाशक/लार्वानाशक दवाइयों का छिड़काव किया जावे।
26. वर्षाकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जीवन रक्षक दवाइयां, बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था की जावे। बाढ़ के दौरान तथा उसके उपरान्त फेलने वाली बीमारियों जैसे - हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बीमारियां, फूड पॉइजनिंग आदि के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखी जावे। दूषित जल से बचाव व क्लोरीन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे।
27. बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ से बचाव हेतु राहत कार्यों के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं व उपयोगी व्यक्तियों से पूर्व में ही सम्पर्क कर सहायता की आवश्यकता होने पर इनसे सहयोग प्राप्त करें।
28. सफाई कार्य में लगे हुए ठेकेदारों का नाम, दूरभाष नम्बर एवं पता क्षेत्र में सहज दृश्य स्थलों पर आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जावे।
29. तैराकों, गोताखोरों व नाविकों की सूची तथा उनके सम्पर्क हेतु टेलीफोन/मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूची तैयार रखें।
30. नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नम्बर तथा कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम को प्रचारित किया जावे तथा निदेशालय को भी सूचना देनी।
31. सभी जिलों में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का तैयारी 0141-2227296 चालू रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में 0141-2227296 पर सम्पर्क किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Indu Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.18 22:58:40 IST
Reason: Approved

32. बाढ़ नियंत्रण कक्षाओं में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी हो, वे अपने रिलीवर आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे। बाढ़ नियंत्रण में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का इन्द्राज रजिस्टर में दर्ज कर उपयुक्त कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित की जावे।
33. बाढ़ संहिता की प्रति आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों तथा जिला कलेक्टरों को भिजवाई गई है। बाढ़ संहिता आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाइट "dmrelief.rajasthan.gov.in" पर उपलब्ध है। इसमें बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्य योजना बनाकर अनुपालना रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय) के माध्यम से विभाग को ई-मेल : cedlbpj@gmail.com पर प्रेषित करने का श्रम करें।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलवी/25/बाढ़ बचाव/40088- दिनांक : 16/06/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 40457

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
17. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
18. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
19. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
20. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग (समस्त), राजस्थान।
21. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
22. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशनार्थ।
23. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, IT अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
24. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitized by (महेश अजमेर) Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.06.16 22:58:40 IST
Reason: Approver